न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 1 / 2022 तारीख रजू:—22.02.2022

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजेन्द्र पुत्र बजरंगलाल मीना दत्तक पुत्र पाँच्या मीना, निवासी कावड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जौंला, पंचायत समिति व तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. धोली देवी पत्नि स्व0 बजरंगा
3. रामकेश पुत्र बजरंगा
4. हरकेश पुत्र बजरंगा
5. गुड्डी पुत्री बजरंगा

समस्त जातियान मीना, निवासीयान कावड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थित:—

वकील अपीलांट:— श्री हसंराज यादव, एडवोकेट

वकील रेस्पोंडेंट्स संख्या 1:—एकपक्षीय कार्यवाही

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 744 निर्णय दिनांक 25.11.2021 ग्राम पंचायत जौंला

निर्णय दिनांक:—03.02.2026

—: निर्णय :—

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ ग्राम कावड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि, जिसके साबिक खसरा नंबर व हाल खसरा नंबर निम्न प्रकार है—

साबिक खसरा नंबर	रकबा	हाल नंबर	रकबा
338	2 बीघा 3 बिस्वा	1197	0.11 है0
		1198	0.43 है0
339	2 बीघा 5 बिस्वा	1194	0.03 है0
		1195	[illegible]
		1196	0.44 है0
		1196 / 2318	0.01 है0
492	1 बीघा 6 बिस्वा	1158	0.33 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

680	9 बीघा 6 बिस्वा	1158	0.33 है0
724	3 बीघा 2 बिस्वा	1738	1.56 है0
725	3 बीघा 2 बिस्वा		
727	2 बीघा	1176	0.11 है0
		1777	0.40 है0
कुल किता 7	कुल रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा	कुल किता 11	रकबा 5.91 है0

उपरोक्त भूमि खातेदार अपीलार्थी के पिता बजरंगा पुत्र मोज्या मीना व अपीलार्थी के गोद ग्रहिता पिता पाँच्या पुत्र मोज्या मीना निवासी ग्राम कावड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर की भूमि है। उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी के दत्तक पिता पाँच्या व प्राकृतिक पिता बजरंगा एवं माँ तुलस्या संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे। अपीलार्थी के पितामह मोज्या मीना की मृत्यु के समय अपीलार्थी के दत्तक पिता पाँच्या व प्राकृतिक पिता नाबालिग थे व बजरंगा मृतक मोज्या का बड़ा पुत्र था। इस कारण मृतक मोज्या मीना की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि की खातेदारी नाबालिग पुत्र मोज्या मीना बहैसियत संरक्षक माँ तुलस्या देवी के नाम देश आजाद होने पर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय लागू होने पर दौराने सेटलमेंट दर्ज हो गई। चूँकि अपीलार्थी के दत्तक पिता पाँच्या मृतक मोज्या का छोटा पुत्र होने से ग्रामवासीयों द्वारा बडे पुत्र बंजरगा के नाम भू–प्रबंध अधिकारी को अवगत कराने से खातेदारी नाबालिग बजरंगा पुत्र मोज्या मीना बहैशियत संरक्षक माँ तुलस्या देवी के नाम दर्ज हो गई। जबकि नाबालिग बजरंगा व पाँच्या मीना उपरोक्त भूमि पर संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त कर रहे थे। मृतक मोज्या मीना के उत्तराधिकार से मृतक पॉच्या मीना व मृतक बंजरगा मीना को प्राप्त कृषि भूमि जो सहबन से या मृतक बंजरगा मीना को मृतक मोज्या का बडा पुत्र होने कारण राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागू होने पर प्रथम भू–प्रबंधन कार्य होने के दौरान ग्राम कावड पटवार हल्का कावड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित भूमि की खातेदारी बंजरगा पुत्र मोज्या कोम मीना सा० देह नाबालिक बिलायक मॉ तुलस्या के नाम दर्ज कर दी। खातेदार बंजरगा पुत्र मोज्या मीना की मृत्यु के बाद उसकी छोड़ी हुई कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण संख्या 744 निर्णय दिनांक 25.11.2021 ग्राम पंचायत जौला तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा धोली देवी पत्नि स्व० बजरंगा, हिस्सा 1/4 भाग, गुडडी पुत्री बजरंगा, हिस्सा 1/4 भाग, रामकेश पुत्र बजरंगा, हिस्सा 1/4 भाग, हरकेश पुत्र बजरंगा, हिस्सा 1/4 भाग जाति मीना साकिम देह खातेदार के नाम दर्ज कर जमाबंदी ग्राम कावड संवत् 2074–77 में दर्ज कर दिया जो गलत है। क्योंकि उक्त विवादित नामांतकरण ग्राम पंचायत जौला द्वारा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर गुप्त तरीके से सरपंच महोदय ग्राम पंचायत जौला तहसील चौथ का बरवाडा द्वारा मजमे आम में जॉच कर तस्दीक नहीं किया क्योंकि मृतक बंजरगा पुत्र मोज्या मीना के विरासत के नामांतकरण के दौरान अपीलान्ट द्वारा पेतृक कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

की खातेदारी बाबत् वादपत्र माननीय न्यायालय में विचाराधिन होने बाबत् अवगत कराने के बावजूद नामान्तकरण तस्दीक किया है। उक्त तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी सर्वप्रथम उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 24.01.2022 को अपीलार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल एवं नामांतकरण की नकल लेने पर हुई। इस कारण नामांतकरण की नकल लेकर यह अपील जानकारी दिनांक 24.01.2022 से निम्न आधारों पर प्रस्तुत है–

- मातहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत जौला तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 25.11.2021 मृतक के उत्तराधिकारियों व कृषि भूमि की खातेदरी के बाबत् विचाराधीन वादपत्र की मजमे आम में जाँच के बिना पारित किया गया है जो रद्ध किये जाने योग्य है।
- मातहत अदालत सरपंच, ग्राम पंचायत जौला ने मृतक बजरंगा पुत्र मोज्या मीना के विरासत के नामान्तरकरण दर्ज करते समय रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया, जो गलत है। क्योंकि अपीलार्थी व रेस्पो0 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
कार्यालय ... चौथ का बरवाड़ा

मोज्या (फोत)

बजरंगा (फोत) पुत्र | पाँच्या (नाऔलाद फोत) पुत्र | तुलस्या (फोत) पत्नि

पाँच्या → राजेन्द्र (दत्तक पुत्र)

बजरंगा → धोली पत्नि | राजेन्द्र पुत्र | रामकेश पुत्र | हरकेश पुत्र | गुड्डी पुत्री

- मृतक मोज्या मीना के छोटे पुत्र पाँच्या मीना व उसकी पत्नि बजरंगी मीना के जायन्दा कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने पर पाँच्या मीना ने स्वयं के बड़े भाई बजरंगा पुत्र मोज्या मीना के पुत्र अपीलांट राजेन्द्र कुमार को रजिस्टर्ड गोदनामा व वसियननामा दिनांक ...2...87 को रूबरू गवाहान श्रीनारायण मीना व श्री रामस... ...वसीयतनामा को उपपंजीयक सवाई माधोपुर के यहां पंजीबद्ध करवाया तब से वादी मृतक मोज्या मीना के उत्तराधिकार से मृतक पॉच्या मीना व मृतक बजरंगा मीना को प्राप्त कृषि भूमि पर दत्तक पिता पॉच्या मीना के हिस्सा 1/2 भाग पर काबिज चला आ रहा है। परन्तु मृतक मोज्या मीना के उत्तराधिकार से मृतक पॉच्या मीना व मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

बजरंगा मीना को प्राप्त कृषि भूमि सहवन से या मृतक बंजरगा मीना [illegible] मृतक मोज्या का बडा पुत्र होने कारण राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागू होने पर प्रथम भूप्रबंधन कार्य होने के दौरान खातेदारी बंजरगा पुत्र मोज्या कोम [illegible] मॉ तुलस्या के नाम दर्ज कर दी एवं नवीन सेटलमेंट में [illegible]क्त भूमि पर भी पुरानी खतोनी बन्दोबस्त के अनुसार नाबालिक बंजरगा पुत्र मोज्या सरक्षक सरपरस्त बिलायत पुत्र तुलस्या हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज कर नवीन जमाबन्दी जारी की है। जबकि उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के दत्तक पिता पोंच्या मीना व अपीलार्थी के प्राकृतिक पिता बंजरगा मीना की सयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित बुर्जुगान मोज्या मीना की छोढ़ी हुई कृषि भूमि है। एवं उक्त भूमि के प्रत्येक हिस्से पर मुझ अपीलार्थी का मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के जन्मजात हिस्सा है। मूल खातेदार मोज्या मीना निवासी कावड (स.मा.) की मृत्यु उपरांत उसकी छोडी हुई सम्पत्ति पर प्रथम खातेदारी अधिकार अपीलार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या २ के पति नाबालिक बंजरगा मीना के नाम भरा गया जबकि अपीलार्थी के दत्तक पिता पॉच्या मीना भी मृतक मोज्या मीना के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। एवं मृतक मोज्या मीना की छोडी हुई कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु मृतक पॉच्या मीना की व उसकी पत्नि बजरगी मीना की कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं होने पर अपीलार्थी को गोद ले लिया एवं मृतक पॉच्या मीना की छोडी हुई कृषि भूमि पर हिस्सा 1/2 भाग भूमि पर गोद पुत्र की हेसियत से काबिज होकर काश्त कर रहा है। व आज भी अपीलार्थी हिस्सा 1/2 भाग भूमि पर भौतिक रुप से काबिज है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भारत माला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है एवं ग्राम कावड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में अपीलार्थी एवं अप्रार्थी संख्या २ के पति व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पिता बंजरगा पुत्र मोज्या मीना के खातेदारी की भूमि को राजमार्ग निर्माण हेतु खसरा न. 1738 रकबा 1.56 है0 में से 1.069 है० को आवाप्त कर लिया जिसका मुआवजा भी धारा 3जी (1) एवं उएच के तहत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार के नाम जारी कर दिया परन्तू अपीलार्थी के प्राकृतिक पिता बंजरगा पुत्र मोज्या मीना नाबालिक होने के कारण अवार्ड राशि का भुगतान नही हुआ एवं अपीलार्थी के दत्तक पिता पॉच्या मीना के नाम उपरोक्त भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं होने पर उसकी छोडी हुई पैतृक कृषि भूमि एव उसकी मृत्यु के बाद जरिये विरासत अपीलार्थी के कब्जे काश्त में प्राप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि जो अपील नामान्तकरण, में उल्लेखित है के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर अपीलार्थी को उसके दत्त

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

पिता पांच्या पुत्र मोज्या मीना के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी के प्राकृतिक पिता बंजरगा मीना द्वारा नाबालिक से बालिग करवाने एवं अपीलार्थी के दत्तक पिता पॉच्या मीना के हिस्से कि भूमि हिस्सा 1/2 भाग भूमि के खातेदरी अपीलार्थी के नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार महोदय चौथ काबरवाडा के यहा आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 10.8.2021 (बालिग) ग्राम कांवड तहसील चौथ का बरवाडा स्वीकार किया पंजौला गया परन्तु अपीलार्थी के प्राकृतिक पिता बंजरगा पुत्र मोज्या मीना के बीमार हो जाने के कारण उनकी मृत्यु दिनांक 12.10.2021 को ग्राम कावड तहसील चौथ का बरवाडा में हो गई इस कारण अपीलार्थी के नाम उपरोक्त विवादित भूमि का हिस्सा 1/2 भाग भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतू. किसी भी प्रकार कार्यवाही नहीं हो सकी।

- अपीलार्थी के प्राकृत्तिक पिता बंजरगा पुत्र मोज्या मीना की मृत्यु के बाद अपीलार्थी के दत्तक पिता पॉच्या मीना के हिस्सा 1/2 भाग की छोडी हुई भूमि के खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज करवाने हेत अपीलार्थी के प्राकृतिक पिता बंजरगा पुत्र मोज्या मीना के शेष उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या २ लगायत 5 से निवेदन किया व अवाप्ति का मुआवजा राशि का भुगतान हिस्सा 1/2 भाग का भुगतान अपीलार्थी के नाम किये जाने हेतु निवेदन किया जाने पर अप्रार्थीगण संख्या २ लगायत 5 के द्वारा दिनांक 24. 01.2022 को साफ साफ इंकार कर दिया एवं अप्रार्थीगण द्वारा बेईमानी से अपीलार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या २ लगायात 5 के बुजुर्गान की संयुक्त हिन्दु अविभक्त परिवार की सम्पत्ति (कृषि भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु आवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेज को आवाप्ति कार्यालय में जमा करवाने एवं शेष अपीलार्थी के कब्जे काश्त में मौखिक बँटवारे में आई भूमि को भू–माफिया व दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण संख्या २ लगायत 5 को कोई विधिक अधिकार नहीं है।
- मुझ अपीलार्थी को मृतक बजंरगा पुत्र मोज्या मीना की विरासत के नामान्तकरण में सर्वप्रथम उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 24.01.2022 को अपीलार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि बाबत् खातेदारी की घोषणा हेतु वाद पत्र विचाराधीन होने की सूचना अप्रार्थीगण को होने के बावजूद विवादित नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जिस पर अपीलार्थी द्वारा जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तकरण की नकल लेने पर हुई।
- अतः अपील नामांतकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामांतरण संख्या 744 निर्णय दिनांक 25.11.2021 सरपंच ग्राम पंचायत जोला बाबत ग्राम कावड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को रख फरमाया जावे तथा विवादित भूमि के कब्जे काश्त एवं मालिकाना हक बाबत् विस्तृत जाँच करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

अपीलार्थी के नाम हिस्सा 1/2 भाग दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम रेस्पोंडेंट्स जारी किये जाकर उन्हें न्यायालय में तलब किया।

3. वकील रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 लगायत 5 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

- ग्राम पंचायत जोला ने मृतक बजरंगा पुत्र मोज्या मीना के फोत होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण उनके जायज वारिसान के नाम खोला गया है, वह सही है। चूंकि उपरोक्त खातेदारी भूमि मृतक बजरंगा की स्वयं की खातेदारी भूमि है, पैतृक खातेदारी भूमि नहीं है। तथा अपीलार्थी राजेन्द्र, पॉच्या (मृतक) का दत्तक पुत्र पुत्र है। मृतक पॉच्या ने अपने दत्तक पुत्र के हम में अपने जीवन काल में एक वसीयत व गोद पत्र पंजीयन करवाया था, जिसमें दर्ज खातेदारी भूमि पर अपीलार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है, जिसमें का मृतक बजरंगा की खातेदारी भूमि, जिसका नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 25.11.2021 रेस्पो0 के हक में खोला गया, से कोई वास्ता नहीं है। इस कारणं अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

- नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 25.11.2021 में अंकित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पिता बजरंगा पुत्र भोज्या मीना की स्वयं की खातेदारी भूमि है, जिसे बजरंगा ने अपने जीवन काल से काश्त किया। जब उपरोक्त आराजीयात की भूमि को रेस्पो0 संख्या 2 के पित के जीवन काल में खाते में आई जब तक अपीलांट के मृतक दत्तक पिता पॉच्या ने कोई ऐतराज नहीं किया, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 744 की कृषि भूमि रेस्पो0 के मृतक पिता की स्वअर्जित कृषि भूमि है। आप उपरोक्त भूमि के विरासत के हिस्से को लेकर अपीलांट ने अपील पेश की है, जो सारहीन एवं निराधार होने से खारिज योग्य है।

- अपीलांट के दत्तक पिता पॉच्या व रेस्पो0 के पिता बजरंगा दोनों भोज्या के पुत्र थे। दोनों का देहान्त हो चुका है। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 के दादा भोज्या ने अपनी पैतृक सम्पत्ति का मौखिक बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया था। और उसी मौखिक बंटवारानुसार दोनों भाई अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर अपने जीवन काल तक उपयोग करते रहे हैं। बजरंगा व पॉच्या के बीच पैतृक सम्पत्ति संबंधी उनके जीवन काल तक कोई विवाद शेष नहीं रहा। अपीलांट स्व0 बजरंगा का जायज पुत्र [illegible] के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होने के कारण पॉच्या ने अपीलांट को गोद लिया [illegible] समय पॉच्या ने अपीलांट के हक में अपनी पैतृक भूमि, अचल सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति संबंधी गोद पत्र मय वसीयत पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाये, जिसमें सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण किया गया है। उपरोक्त वसीयत में रेस्पो0 के हक में खोले गये नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

संख्या 744 की खातेदारी भूमि का हवाला नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 के पिता की स्वअर्जित कृषि भूमि है।

❖ इसी कारण अपीलांट अपने दत्तक पिता स्व0 पॉच्या के जीवन काल से लेकर सन् 2021 तक पॉच्या के हिस्से में पारिवारिक मौखिक समझोता अनुसार आई कृषि भूमि महज परेशान करने एवं भूमि को जबरदस्ती हड़पने के कारण उपरोक्त अपील पेश की है, जिसका कोई आधार नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

❖ अतः जवाब नामान्तरकरण अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावे।

4. रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 21.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 को बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा बहस नहीं किये जाने के कारण रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 की बहस बंद की गई।

6. वकील अपीलांट की बहस सुनीं गई। अपीलांट वकील में अपील में अंकित कथनों का दोहरना किया। मैंने अपीलांट वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अपीलांट वकील का कथन है कि विवादित आराजीयात खातेदार अपीलार्थी के पिता बजरंगा पुत्र मोज्या मीना व अपीलार्थी के गोद ग्रहिता पिता पाँच्या पुत्र मोज्या मीना निवासी ग्राम कावड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर की भूमि है। उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी के दत्तक पिता पाँच्या व प्राकृतिक पिता बजरंगा एवं माँ तुलस्या संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे। अपीलार्थी के पितामह मोज्या मीना की मृत्यु के समय अपीलार्थी के दत्तक पिता पाँच्या व प्राकृतिक पिता नाबालिग थे व बजरंगा मृतक मोज्या का बड़ा पुत्र था। इस कारण मृतक मोज्या मीना की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि की खातेदारी नाबालिग पुत्र मोज्या मीना बहैसियत संरक्षक माँ तुलस्या देवी के नाम देश आजाद होने पर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर दौराने सेटलमेंट दर्ज हो गई। चूँकि अपीलार्थी के दत्तक पिता पाँच्या मृतक मोज्या का छोटा पुत्र होने से ग्रामवासीयों द्वारा बडे पुत्र बंजरगा के नाम भू–प्रबंध अधिकारी को अवगत कराने से खातेदारी नाबालिग बजरंगा पुत्र मोज्या मीना बहैशियत संरक्षक माँ तुलस्या देवी के नाम दर्ज हो गई। जबकि नाबालिग बजरंगा व पाँच्या मीना उपरोक्त भूमि पर संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते रहे थे। मृतक मोज्या मीना के उत्तराधिकार से मृतक पॉच्या मीना व मृतक बंजरगा मीना को प्राप्त कृषि भूमि जो सहवन से या मृतक बंजरगा मीना को मृतक मोज्या का बडा पुत्र होने कारण राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागू होने पर प्रथम भू–प्रबंधन कार्य होने के दौरान ग्राम कावड [illegible] पटवार हल्का कावड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित भूमि की खातेदारी बंजरगा पुत्र मोज्या कोम मीना सा० देह नाबालिक बिलायक मॉ तुलस्या के नाम दर्ज कर दी, जबकि उक्त विवादित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

पैतृक भूमि है, जिसमें अपीलांट का भी हिस्सा दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 25.11.2021 निरस्त योग्य है। वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जवाब में विवादित आराजीयात को पैतृक संपत्ति न बताकर स्वअर्जित सम्पत्ति बताई है, परन्तु इसके संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य यथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, बेचाननाम आदि पेश नहीं किया है। साथ ही वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 को कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा बहस नहीं की गई और न ही उनके द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में किये गये कथनों का कोई प्रतिरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध गोदनामा अनुसार पॉच्या, जो कि नाऔलाद फोत हुआ था, के राजेन्द्र पुत्र बजरंगलाल के गोद जाने की पुष्टि होती है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है, एवं नामान्तरकरण संख्या 744 निर्णय दिनांक 25.11.2021 ग्राम पंचायत जोंला, तहसील चौथ का बरवाड़ा को खारिज किया जाकर तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को इस आदेश से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भोज्या के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकण दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुल न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:13 IST
Reason: SelfAttested